(2) कंपनी अधिनियम के अधीन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को तीन निगमित कंपनियों में विभाजित करना।

(3) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन संबद्ध कार्यालय के रूप में "हाईड्रोकार्बन निदेशालय" बनाना।

(4) नई निगमित कंपनियों की पूंजी के 20 प्रतिशत का अधिकार हरण।

(ग) और (घ) सरकार ने कंपनी अधिनियम के अधीन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में बदलने, हाइड्रोकार्बन का निदेशालय बनाने तथा नव-गठित कंपनी की इक्विटी के 20 प्रतिशत का अधिकार लेने से संबंधित समिति की अनुसंसाओं को क्रियान्वित करने के लिए स्वीकार कर लिया है। इन अनुशंसओं के कार्यान्वयन से प्रचालन के लिए अधिक वित्तीय/वाणिज्यिक/प्रबंध लोच प्राप्त होगी तथा अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे। उक्त निदेशालय एक तकनीकी निकाय के रूप में सरकार की ओर से यह सुनिश्चित करेगा कि तेल के अन्वेषण, विकास तथा दोहन के क्षेत्र में ठोस कार्य किए जा रहे हैं।

(ङ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को तीन कंपनियों में विभाजित करने की समिति की अनुशंसा को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि अपेक्षित संसाधन जुटाने अथवा संयुक्त उद्यम भागीदारों को आकर्षित करने के लिए इकाईयों को वित्तीय शक्ति नहीं होगी और उनमें से एक इकाई वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं भी हो सकती है।

**उत्तर प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज**

305. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चालू वर्ष एवं अगले वर्ष के दौरान प्राकृतिक गैस की खोज करने हेतु उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से स्थानों का अभिनिर्धारण किया है, और भविष्य में इस प्रयोजन हेतु कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है; और

(ख) केन्द्र सरकार ने इसके लिये कितनी धनराशि मंजूर की है और सरकार कितने स्थानों पर प्राकृतिक गैस की खोज करने में सफल रही है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री कैप्टन शतीश शर्मा :** (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग नवाबगढ़-अमेठी-सिधानी क्षेत्र में भूकंपीय सर्वेक्षण कर रहा है। एक अन्वेषणात्मक कूप शाहजहांपुर-I में उत्पादन परीक्षण किया जा रहा है। आयल इंडिया लि० भी शारदा डिप्रेसन में जो मुरादाबाद, बरेली, नैनीताल, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, बदायूं तथा गढ़वाल जिलों में आता है, भूकंपीय सर्वेक्षण करवा रहा है। वर्ष 1993-94 के दौरान बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, गोंडा और गोरखपुर जिलों के गंडक डिप्रेसन में भी आयल इंडिया लि० भूकंपीय सर्वेक्षण करवा रहा है।

(ख) वर्ष 1993-94 के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि० का सर्वेक्षण के लिए योजना परिव्यय 16.34 करोड़ रुपये का है। उत्तर प्रदेश में अब तक 6 अन्वेषणात्मक कुएं खोदे गए हैं। जिनमें कोई सफलता नहीं मिली है।

**Shortfall in crude oil production**

306. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that crude oil production fell short of target by 3.8 percent during the April-November period of 1992; and

(b) if so, what are the reasons?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) During the period April to November, 1992, the production of indigenous crude oil fell short of the target by about 3.7 per cent.

(b) The reasons for shortfall include (i) less base potential, (ii) power shutdown, (iii) high water cut in the heavy oilbelt, (iv) development of pressure sinks in some of the fields, (v) production from Ravva Phase-I (K.G. Offshore) could not be achieved due to delay in completion by HSL (vi) inadequacy/interruptions in tanker availability for uplifting crude from isolated fields, and (vii) Bandhs, agitations and disturbance of normal operations.

**तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट**

307. **श्री राम जेठमलानी :**
**श्रीमती सुषमा स्वराज :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 नवम्बर, 1992 के दैनिक "स्टेटसमैन" में "एफ. आई. आर. एगेन्स्ट ओ एन जी सी आफिशियल्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है और उन पर गंभीर आरोप लगाये हैं ;

(ग) यदि हां, तो ये आरोप क्या हैं और क्या इस संबंध में आरोपित अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच की गई है और उन अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या-क्या हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या जांच के दौरान आयोग के कार्यालय में इन अधिकारियों को उनके पद से मुक्त कर दिया गया था जिससे जांच कार्य पर कोई प्रभाव न पड़े ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कप्टन सतीश शर्मा) :** (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) ने किये गये इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत अन्यों के साथ-साथ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के एक अधिकारी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के संबंधित अधिकारी को 2.12.1992 से निलंबित कर दिया गया है।

**पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात**

308. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
**श्री राम जेठमलानी :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि होने के कारण इनके घरेलू उत्पादन और मांग में अधिक अंतर हो जाने के परिणामस्वरूप पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है और गत वर्ष व्यय की गई धनराशि की तुलना में यह कितनी कम अथवा अधिक है ; और